




राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(22)पंरावि/प्रशा.1/स्थाना/पद-सीएमओ/वि.अ./2010/ 1828 जयपुर दिनांक 19.9.19


—:संशोधित आदेश :-

विभागीय आदेश क्रमांक 1827 दिनांक 19.9.19 में आंशिक संशोधन किया जाकर क्रम संख्या 8 पर सैपऊ (भरतपुर) के स्थान पर सैपऊ (धौलपुर) तथा क्रम संख्या 9 पर श्री गणपतराम सुथार के स्थान पर श्री गणपतलाल सुथार पढा जावे।


(विजयपाल सिंह)
उपायुक्त (प्रशि.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा एवं राज्य मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
8. जिला कलक्टर, संबंधित।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
10. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित।
12. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
13. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. आदेश पत्रावली।


उपायुक्त (प्रशि.)